मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः16.12.2025

थाना मड़िहान व राजगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, मौके से पैदल जंगल के रास्ते वध हेतु ले जाए जा रहे 13 राशि गोवंश तथा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद —

‘सोमेन बर्मा’ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना मड़िहान व राजगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः16.12.2025 को पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्तियों द्वारा कुछ राशि गोवंशों को भावां-सेमरी जंगल के रास्ते पैदल हांकते हुए वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना मड़िहान व राजगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दी गयी तो गिरफ्तारी से बचने हेतु गो-तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें एक गो-तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा गो-तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार गो-तस्कर सप्पू नट पुत्र नबी रसूल निवासी देवरी कलां थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है, मौके से जंगल के रास्ते पैदल हांकते हुए वध हेतु ले जाए जा रहे 13 राशि गोवंश तथा मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त —

सप्पू नट पुत्र नबी रसूल निवासी देवरी कलां थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 38 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

13 राशि गोवंश।

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास —

1.मु0अ0सं0-28/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0-194/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

3.मु0अ0सं0-173/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

4.मु0अ0सं0-114/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम, थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

5.मु0अ0सं0-134/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

6.मु0अ0सं0-193/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम, थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक मड़िहान-बालमुकुन्द मिश्रा मय पुलिस टीम।

थानाध्यक्ष राजगढ़-दया शंकर ओझा मय पुलिस टीम।

****